जेपीआर5– 406

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक/जडि/मुअ/वा/सी–I/एफ4 (210)पार्ट-xii/प्रे 1295 दिंनाक 18.07.07

–: आदेश :–

विषय :–गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (**Scattered**) घरों में " घरेलू श्रेणी " के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (**Scattered**) घरों में " घरेलू श्रेणी " के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु निम्नलिखित योजना तुरन्त प्रभाव से जारी की जाती है :–

1. उक्त कनेक्शन पूर्व में स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफारमर से 500 मीटर की परिधि में पड़ने वाले उपभोक्ता को ही दिये जायेगें। एल.टी. लाईन ए.बी केबल(**AB Cable**) से ही डाली जाएगी तथा सर्विस लाईन में आर्मड केबल ही लगेगी।

2. गैर आबादी/आबादी क्षेत्र में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लाईनों के विस्तार हेतु 100 रू. प्रति मीटर, सिंगल फेज लाईन की दर से राशि ली जाती है जिसके कारण मॉग पत्र की राशि ज्यादा आती थी। अतः इस विषय में निर्णय लिया गया है कि ऐसे घरेलू कनेक्शन के लिये स्थायी राशि 3500/– रू प्रति कनेक्शन होगी जिससे अधिकांश ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके।

3. यथा संभव 9 मीटर के पीसीसी पोल पर ही लाईन खींची जावे।

4. छितराये(**Scattered**) हुये क्षेत्र में 5 के.वी.ए. के सिंगल फेज ट्रासफार्मर ही लगाये जाएगें ।

5. यदि उपरोक्त एक्स.एल.पी.ई.(**XLPE**) आरमर्ड केबल स्वयं उपभोक्ता द्वारा अपने खर्चे पर उपलब्ध कराई जाती है तो उस राशि को आगामी विद्युत बिलों के माध्यम से 60 रू. प्रति माह के हिसाब से बिलों में समायोजित करके लौटा दी जाये।

6. ट्विन कोर–4 वर्ग मी.मी की एक्स.एल.पी.ई.(**XLPE**) आरमर्ड केबल की दर 30 रू/– प्रति मीटर की दर से राशि लौटाई जावे।

7. ऐसे कनेक्शन देने के लिये कोई भी नये सिंगल फेज ट्रांसफारमर नहीं लगाये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

18/7/07

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

C:\Documents and Settings\jaipurdiscom\My Documents\MEENA\Order.doc